भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2639

दिनांक 4 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात पर एफटीए का प्रभाव

2639. श्री गौरव गोगोई:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत-यूके एफटीए के अंतर्गत चाय के लिए नियत की गई टैरिफ छूट, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है और उन्हें कम करने की चरण-वार समय-सीमा क्या है;

(ख) इन छूटों का लाभ उठाने के लिए असम के चाय निर्यातकों को उत्पत्ति के नियम की किन शर्तों को पूरा करना होगा;

(ग) समझौते के बाद यूके को असम की चाय के निर्यात में अनुमानित रूप से कितनी वृद्धि होगी; और

(घ) क्या वार्ता के दौरान भारत चाय बोर्ड से परामर्श किया गया था और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क): भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) ने भारत से चाय के निर्यात के लिए कार्यान्वित होने पर शून्य शुल्क पहुंच प्रदान की है।

(ख): चाय पर टैरिफ छूट का लाभ उठाने के लिए उत्पाद विशिष्ट उत्पत्ति नियम संबंधी निम्नवत शर्तो को पूरा करना होगा :

अध्याय/शीर्षक/उपशीर्षक	**विवरण**	**उत्पाद विशिष्ट-उत्पत्ति नियम**
090210	तत्काल पैकिंग के लिए तैयार ग्रीन टी (नॉन–फर्मेन्टेड) जिसकी मात्रा 3 किलोग्राम से अधिक न हो।	टैरिफ उप-शीर्षक में परिवर्तन (सीटीएसएच); या ब्लेंडिंग

090220	तत्काल पैकिंग के लिए तैयार गीन टी (नॉन–फर्मेन्टेड) जिसकी मात्रा 3 किलोग्राम से अधिक हो।	चैप्टर में परिवर्तन (सीसी), या ब्लेंडिंग
090230	तत्काल पैकिंग के लिए तैयार ब्लैक टी (फर्मेन्टेड) और आंशिक रूप से फर्मेन्टेड टी, जिसकी मात्रा 3 किलोग्राम से अधिक न हो।	टैरिफ उप-शीर्षक में परिवर्तन (सीटीएसएच); या ब्लेंडिंग
090240	तत्काल पैकिंग के लिए तैयार ब्लैक टी (फर्मेन्टेड) और आंशिक रूप से फर्मेन्टेड टी, जिसकी मात्रा 3 किलोग्राम से अधिक हो।	चैप्टर में परिवर्तन (सीसी); या ब्लेंडिंग

(ग): सीईटीए भारतीय निर्यातकों को यूके के बाजार में शून्य शुल्क पर पहुंच प्रदान करता है। यूके ने वर्ष 2025 में विश्व से लगभग 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की चाय आयात की थी। सीईटीए के अंतर्गत शून्य शुल्क पहुंच से असम सहित भारत से चाय के निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलेगा।

(घ): सीईटीए जैसे मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) में वार्ता की स्थितियाँ चाय बोर्ड सहित संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श के आधार पर तैयार की जाती हैं। भारत और यूके एक ऐसा व्यापार समझौता संपन्न करने के लिए सतर्कता के साथ कार्यरत है जो निष्पक्ष, न्यायसंगत हो और दोनों पक्षों की महत्वाकांक्षाओं और संवेदनशीलता को ध्यान में रखे।
